bdkbl 4 lfoèkku d vkèkkjHkr fo'k"krk,¡ ,o f'k{kk d Ákoèkku*

: i j[kk

4.1 प्रस्तावना

4.2 उद्देश्य

4.3 समानता और लोकतंत्र
- 4.3.1 समानता के लिए संघर्ष
- 4.3.2 समानता के आयाम

4.4 शिक्षा, समानता और सामाजिक रूपांतरण
- 4.4.1 शिक्षा की भूमिका
- 4.4.2 शिक्षा और सामाजिक रूपांतरण

4.5 मौलिक अधिकार और शिक्षा

4.6 अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार

4.7 राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त और शिक्षा

4.8 सकारात्मक कार्रवाई

4.9 भाषा नीति
- 4.9.1 शिक्षा का माध्यम
- 4.9.2 त्रिभाषा सूत्र

4.10 संघीय संरचना
- 4.10.1 शक्तियों का विभाजन और विकेन्द्रीकरण

4.11 पंचायती राज संस्थाएँ और शिक्षा
- 4.11.1 पंचायती राज संस्थाएँ और शिक्षा का अधिकार अधिनियम
- 4.11.2 सामुदायिक सहभागिता और शिक्षा
- 4.11.3 सामुदायिक सशक्तिकरण : सफलता की कहानियाँ
- 4.11.4 विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका

4.12 सारांश

4.13 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी पठन सामग्री

4.14 बोध प्रश्नों के उत्तर

4-1 ÁLrkouk

सर्वस्व वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर आधारित लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना स्वतंत्र भारत के लिए एक प्रमुख उपलब्धि थी, क्योंकि इससे सिद्धांततः सभी व्यक्ति चाहे वे किसी भी जाति, पंथ, लिंग और सामाजिक उद्‌गम के होकर राष्ट्र के सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक जीवन (गतिविधियों) में समान रूप से सहभागी

*इस इकाई के कुछ अनुभाग राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की कक्षा आठवीं की सामाजिक विज्ञान पाठ्‌य पुस्तक एवं कक्षा नवमीं व ग्यारवीं की राजनीति विज्ञान पाठ्‌य पुस्तक से लिया गया है।

होंगे। राजनीतिक लोकतंत्र में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र अंतर्निहित है। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा में सभी समूहों और समुदायों को समाविष्ट करना है। उपप्रमेय के रूप में भारत के संविधान ने, न केवल लोकतांत्रिक गणराज्य का सृजन किया बल्कि अपने सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए भी वचनबद्ध है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य को सामाजिक–आर्थिक रूपांतरण के एजेंट के रूप में देखा गया था। इस सम्बन्ध में हमारे मन में कई प्रश्न आते हैं जिनका उत्तर मिलना जरूरी है। भारत में क्या राज्य संविधान निर्माताओं के विचारों (लक्ष्यों) को पूरा कर पाया? क्या राजनीतिक लोकतंत्र प्रदान की गई इस असमान सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के अनुरूप है? शिक्षा की भूमिका से जो इन मुद्दों पर चर्चा हमें कुछ ऐसे प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करती हैः लोकतंत्र के विचारों (मतों) को कार्यान्वित करने में शिक्षा की क्या भूमिका है? संविधान निर्माताओं ने किस प्रकार शिक्षा के महत्व का पूर्वानुमान किया और सांविधानिक उपबंधों में यह किस प्रकार सन्निहित है? संघ व्यवस्था में शिक्षा के उपबंध क्या हैं? भाषा नीति से अनेकत्व लोकाचारों को संरक्षित की अपेक्षा कैसे की जाती है? अगले भागों में भारत में लोकतंत्र की गतिविधियों और शिक्षा के प्रावधानों और भूमिका का विशेष रूप से इसके अन्वेषण के संदर्भ में विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है, ताकि, समानता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित व्यवस्था की स्थापना की जा सके।

4-2 mís';

इस इकाई में हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे और साम्यपूर्व समाज के निर्माण के समग्र संदर्भ में शिक्षा क्या महत्व रखती है इसका विश्लेषण करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आपः

- भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कर सकेंगे और साम्यपूर्व समाज के निर्माण के समग्र संदर्भ में शिक्षा क्या महत्व रखती है इसका विश्लेषण कर पाएँगे;
- लोकतंत्र, समानता और शिक्षा के मध्य सम्बन्ध का पता लगा सकेंगे और इन मूल्यों को संवर्धित करने में शिक्षा की भूमिका का विश्लेषण कर सकेंगे;
- शैक्षिक अवसरों का उपयोग करने में जाति, वर्ग, लिंग जैसे कारकों की भूमिका का विश्लेषण कर सकेंगे;
- संघ–संरचना, केन्द्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन और समवर्ती सूची में शिक्षा को शामिल करने के निहितार्थों को समझ सकेंगे;
- विकेन्द्रीकरण से किस प्रकार स्थानीय समुदायों का सशक्तीकरण हो सकता है, गाँवों में विद्यालय बेहतर रूप से काम कर सकता है, उसे विश्लेषण कर पाएँगे; और
- एक अध्यापक के रूप में आप इस तथ्य के प्रति जागरूक हो सकेंगे और सुनिश्चित कर सकेंगे कि, आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों की गरिमा बनी रहे।

4-3 lekurk vkj ykdrU=

भारत का संविधान सभी नागरिकों को सुरक्षा की गारंटी देता है। इसके बावजूद भारत के लोगों के रोजमर्रा के जीवन में समानता दृष्टिगत नहीं होती। समानता लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है और लोकतंत्र की कार्य प्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस इकाई में, आइए, शुरुआत में यह समझने की हम कोशिश करें कि समानता क्या है और भारत में क्या प्रत्येक व्यक्ति समान है? हम इसका विश्लेषण भी करेंगे कि विद्यालय आने वाले सभी बच्चे समान होते हैं या नहीं। हमारे संविधान में शिक्षा सम्बन्धित जिन प्रावधानों का लक्ष्य समानता को बढ़ावा देता है उन प्रावधानों का पता लगाएँगे। जैसा कि

हम जानते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार की असमानताएँ विद्यमान हैं, आइए, इसकी शुरुआत एक विद्यालय जाने वाले दलित बच्चे के अुनभवों से सम्बन्धित कहानी से शुरु करें।

ओम प्रकाश बाल्मिकी ऐसी जाति में पैदा हुआ था जिस जाति का काम सड़कों पर झाड़ू लगाना, पशुओं के बाड़ों को साफ करना, जमीन से मल हटाना, मृत पशुओं को निपटान करना, फसल की कटाई के दौरान खेतों में काम करना और उच्च जाति के लोगों के लिए अन्य शारीरिक श्रम के कार्य करना था। उसके पिता को उसे प्राथमिक विद्यालय में दाखिल कराने के लिए अत्यधिक कठिनाइओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अन्ततः उसे विद्यालय में दाखिला मिल गया लेकिन उसे कक्षा में बेंच पर बैठने नहीं दिया जाता था। उसे उच्च जाति के लड़कों से दूर, सबसे पीछे–दरवाजे के पास जमीन पर बिठाया जाता था, जहाँ से वह ब्लेक बोर्ड ठीक से नहीं देख पाता था। अन्य लड़के, कई उपनामों से आक्षेप कसते थे और मारते थे, जिससे वह एक डरपोक अंतर्मुखी बच्चा बन गया था। यहाँ तक कि अध्यापक भी उसे दंडित करने के अवसर तलाशते रहते थे। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा कि जब वह चौथी कक्षा में था, तब एक नया प्रधानाचार्य आया जो लगभग हर रोज ही उसकी पिटाई करता था और एक दिन उसने उसे झाड़ू देकर विद्यालय के सारे कमरों और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा।

"तीसरे दिन, मैं कक्षा में गया और चुपचाप जाकर नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद प्रधानाचार्य के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। मैं थरथर काँपने लगा, प्रधानाचार्य ने मुझे गर्दन से पकड़ लिया और उनकी अंगुलियों का शिकंजा गर्दन पर निरंतर बढ़ता जा रहा था। जैसे एक भेड़िया मेमने को गर्दन से पकड़ कर उसे घसीटता है, उसने वैसे ही मुझे घसीट कर कक्षा से बाहर जमीन पर दे पटका। वह चिल्लाया, "जाओ और खेल का पूरा मैदान साफ करो नहीं तो मैं तुझे विद्यालय से निकाल दूँगा।" डरते–डरते मैंने तीन दिन पुराना झाड़ू जो तिनकों का झाड़ मात्र रह गया था उसे उठाया। मेरे आँखों में आँसू बह रहे थे, और मैंने परिसर को साफ करना शुरु किया। मेरी आँखों से आँसू बह रहे थे और कक्षा की खिड़कियों और दरवाजों में अध्यापक और लड़के यह नजारा देख रहे थे। मेरे शरीर का रोम–रोम इस यंत्रणा की वेदना की कहानी कर रहा था।

जब ये सब हो रहा था, उस दिन उसके पिताजी वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने मुझे मैदान में झाड़ू लगाते देखा। लड़के ने सिसकते व हिचकियाँ भरते हुए सारी कहानी उसे बताई। उसके पिता जोर से घोषणा की, "अभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन मेरा बेटा यही इसी विद्यालय में पढ़ेगा।" (बाल्मिकी, 2003 : 25)

यह कहानी भारत के कई विद्यालय जाने वाले बच्चों के अनुभवों को दर्शाती है। आज भी, विद्यालय में बच्चों के साथ कई अध्यापकों द्वारा भेदभाव किया जाता है। निम्न जाति के साथ भेदभाव के अतिरिक्त, कई अन्य ऐसे समुदाय हैं, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भेदभाव का शिकार बनते हैं।

fØ;kdyki 4-1

क्या आप समाज में प्रचलित भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण बता सकते हैं? क्या आपके विद्यालय में ये किसी भी रूप में दृष्टिगत होते हैं?

....

....

....

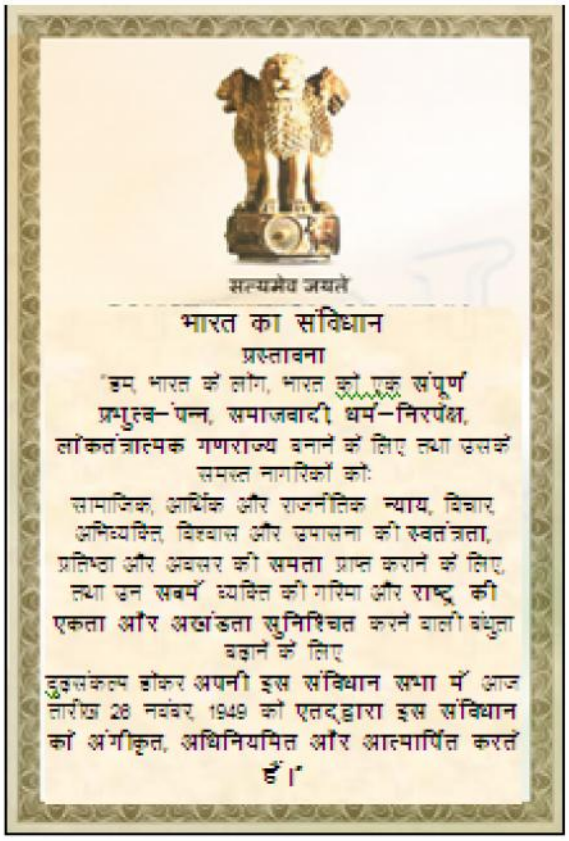

सत्यमेव जयते

भारत का संविधान

प्रस्तावना

"हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व–संपन्न, समाजवादी, धर्म–निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

भारत का संविधान

4-3-1 lekurk ds fy, l?k"k

अंग्रेजी शासन से आजादी के लिए संघर्ष में उन व्यक्तियों के बड़े समूहों का संघर्ष भी शामिल है जो न केवल अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े बल्कि समान रूप से बर्ताव किए जाने के विरुद्ध भी लड़े। दलित, महिलाएँ, जनजातियाँ और कृषक भी उन असमानताओं के विरुद्ध लड़े जिनको के अपने जीवन में अनुभव कर रहे थे।

जब 1947 में भारत एक राष्ट्र बना तब हमारे नेता भी विद्यमान विभिन्न प्रकार की असमानताओं के बारे में भी चिन्तित थे। भारत का संविधान एक नियमों को निर्धारित करने वाला दस्तावेज, जिसे निमयों पर राष्ट्र कार्य करेगा, जिन्होंने लिखा, वे समाज में प्रचलित भेदभाव में और किस तरह लोगों ने इसके विरुद्ध संघर्ष किया, इन सबसे अवगत थे। इसलिए इन नेताओं ने संविधान में एक विज़न और लक्ष्य निर्धारित किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारत में सभी लोगों को समान माना जाता है। सभी व्यक्तियों की समानता को प्रमुख महत्व के रूप में देखा गया, जो सभी भारतीयों को एक करती है। प्रत्येक के पास समान अवसर और अधिकार हैं। लोगों को क्या समान बनाता है? हम समानता के उन आयामों पर ध्यान केन्द्रित करेंगे जिसे प्रत्येक के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने के लिए संबोधित किया जाना चाहिए।

4-3-2 lekurk ds vk;ke

हमारे समाज में विद्यमान विभिन्न प्रकार की असमानताओं का पता लगाने के दौरान विभिन्न विचारकों ने समानता के तीन प्रमुख आयामों राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता की चर्चा की है। क्या समानता के इन तीनों आयामों पर अलग–अलग विचार करके हम ज्यादा न्यायसंगत और समान समाज की ओर अग्रसर हो सकते हैं?

jktuhfrd lekurk

लोकतांत्रिक समाजों में, राजनीति समानता में सामान्यतः राज्य के सभी सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान करना और वे अधिकार प्रदान करना शामिल है, जो नागरिकों को विकसित होने और राज्य के मामलों में उन्हें सहभागी होने योग्य बनाने के लिए अनिवार्य माने जाते हैं। यह संविधान और विधि द्वारा गारंटीशुदा कानूनी अधिकार है। हाल ही का शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009, मौलिक और कानूनी अधिकार का उदाहरण है (आप इसके बारे में जानकारी के लिए इस खंड की इकाई 6 देख सकते हैं)।

lkekftd lekurk

राजनीतिक समानता या विधि के समक्ष समानता, समानता के अनुसरण में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसे अवसर की समानता की पूरक माना जाता है। लेकिन पहला वाला किसी भी कानूनी बाधा को दूर करने के लिए आवश्यक है जो लोगों को सरकार को अपनी अभिव्यक्ति या मत प्रस्तुत करने से रोक सकते हैं और उन्हें उपलब्ध सामाजिक वस्तुओं तक पहुँचने से वंचित कर सकता है। समानता के अनुसरण के लिए अपेक्षित है कि, विभिन्न समूहों और समुदायों के लोगों की उन वस्तुओं और अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का निष्पक्ष और समान अवसर भी हो। इसके लिए सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के प्रभावों को कम करना और समाज के सभी सदस्यों को जीवन की कुछ न्यूनतम दशाओं की गारंटी देना आवश्यक है। जैसे – i;kIr LokLF; ns[kHkky] vPNh f'k{kk ds fy, volj] i;kIr iks"k.k vkSj U;wure etnwjhA यहाँ शिक्षा ही एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, ऐसी सुविधाओं के अभाव में समाज के सभी सदस्यों के लिए समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करना अत्यंत कठिन है। जहाँ अवसर की समानता न हो वहाँ समाज का एक बड़ा प्रतिभासंपन्न वर्ग निरर्थक हो जाता है।

fØ;kdyki 4-2

क्या आप उन तरीकों के बारे में सोच सकते हैं जिनमें शिक्षा द्वारा समानता को बढ़ावा दिया जा सकता है?

....

....

....

....

....

....

....

....

....

भारत में समान अवसरों की विशेष समस्या न केवल सुविधाओं के अभाव के कारण है बल्कि यह देश के विभिन्न हिस्सों या विभिन्न समूहों में प्रचलित कुछ रीति–रिवाजों के कारण भी है। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि महिलाओं को विद्यालयी और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता हो। ऐसे भी राज्य की भूमिका सभी को समान कानूनी अधिकार देने, विद्यालयों या रोजगार में महिलाओं के प्रति भेदभाव या उत्पीड़न को रोकने के लिए नीतियाँ बनाना, महिलाओं को शिक्षा या कुछ व्यवसायों में बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना और ऐसे कुछ उपाय करना है।

vkfFkd lekurk

सरल शब्दों में, हम कहेंगे कि यदि व्यक्तियों या वर्गों के मध्य संपदा, सपत्ति या आय में बहुत अधिक भिन्नताएँ हैं, तो समाज में आर्थिक असमानता विद्यमान है। आज अधिकांश लोकतंत्र इस धारणा के साथ लोगों को समान अवसर देने का प्रयास करते हैं कि हममें से कम से कम प्रतिभावान और दृढ़ संकल्पन रखने वाले लोगों को अवसर मिलेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का अवसर मिलेगा।

4-4 f'k{kk] lekurk vkj lkekftd :ikrj.k

भारतीय समाज में भारत सुदृढ़ असमानताओं से अवगत होने के कारण में, भारतीय संविधान के निर्माता राजनीति लोकतंत्र की सीमा के प्रति अत्यंत सजग थे। यह 25 नवम्बर 1949 को भारतीय सभा में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के अंतिम अभिभाषण में स्पष्ट हो गया। उन्होंने कहाः

fcuk lekurk vkj cèkrk d: ykdr=

"भारत में सामाजिक स्तर, समाज वर्गीकृत असमानताओं के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसका अभिप्राय है कुछ लोगों के उत्थान और कुछ लोगों का पतन हो जाता है। आर्थिक स्तर पर, हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास पर्याप्त संपदा है जबकि कुछ दयनीय निर्धनता में जीवनयापन करते हैं। 26 जनवरी 1950 को हम ऐसे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं जो विरोधाभास पूर्ण है। राजनीति में समानता होगी परन्तु सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। राजनीति में हम 'एक व्यक्ति एक मत और एक मत एक मूल्य' के सिद्धांत को स्वीकार करेंगे, परंतु हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम ऐसी सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण 'एक व्यक्ति एक मूल्य' के सिद्धांत को अस्वीकार करते रहेंगे। हम ऐसे विरोधाभास भरे इस जीवन को कब तक जीते रहेंगे? अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम समानता को कब तक नकारते रहेंगे? यदि हम इसे लम्बे समय तक नकारते हैं, तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को जोखिम में ड़ालकर ही ऐसा कर पाएँगे। हमने जल्द–से–जल्द इस विरोधाभास को दूर करना होगा अन्यथा जो इस असमानता का शिकार बनेंगे वे राजनीति अधिकार की संरचना को उड़ा देंगे।

अतः उन्होंने उल्लेख किया:

"......... हमें मात्र राजनीतिक लोकतंत्र से ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए। हमें हमारे राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र के आधार में यदि सामाजिक लोकतंत्र निहित हैं तो राजनीतिक लोकतंत्र बना नहीं रह सकता। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ जीवन का ऐसा तरीका है जो जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को मान्यता देता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के इन सिद्धांतों को त्रित्व (trinity) में एक अलग–अलग मदों के रूप में नहीं देखा जा सकता है। यह तीनों तत्व एक

संघ बनाते हैं साथ में काम करते हैं यदि एक को दूसरे से अलग किया जाए, तब लोकतंत्र के वास्तविक लक्ष्य पूरा हो नहीं पाएगा। स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता है और समानता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता है। और न ही स्वतंत्रता और समानता को बंधुत्व से अलग किया जा सकता है। समानता के बिना स्वतंत्रता कुछ लोगों को बहुत से लोगों पर प्रभुत्व विस्तार करने को जन्म देगी। बिना स्वतंत्रता के समानता व्यक्तिगत प्रयास को समाप्त कर देगी। बंधुत्व के बिना, स्वतंत्रता और समानता क्रियान्वयन की प्राकृतिक दिशा नहीं बन सकती। इन्हें प्रवर्तित करने के लिए एक सिपाही की आवश्यकता होगी .....।"

Dr. Ambedkar engrossed in work during the making of the Constitution of India.

भारत के संविधान निर्माण के दौरान कार्य में तल्लीन डॉ. बी. आर. अम्बेडकर।

4-4-1 f'k{kk dh Hkfedk

समानता और स्वतंत्रता के अभाव में लोकतंत्र को कायम न रख पाने संबंधी अम्बडेकर के भय/चिंताएँ अनुचित नहीं थी, तथापि उन्होंने न्यायसंगत और समान समाज लाने के लिए शिक्षा के महान महत्व पर बल दिया।

अम्बेडकर की सामाजिक प्रगति की संकल्पना और उनके न्यायपूर्ण और समान समाज के दर्शन में शिक्षा को क्रांतिकारी भूमिका सौंपी गई। सामाजिक रूप में दमित लोगों के लिए शिक्षा और शिक्षा तक पहुँच उनकी समानता और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष में प्रमुख केन्द्र बिन्दु रहा। भारत के सामाजिक रूप में वंचित लोगों के उद्धार में शिक्षा के प्रति यह दर्शाना उनके शब्दों में स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त होता है, जैसेः

"चूँकि, मैं हिन्दूसमाज के निम्नतम वर्ग (जाति) से हूँ अतः मैं जानता हूँ कि शिक्षा का क्या महत्व है। निम्नतम वर्ग की समस्या को उठाना आर्थिक समस्या को उठाना माना जाता है, यह बहुत बड़ी गलती है। भारत में निम्नतम वर्ग की समस्या उठाना, उन्हें रोटी और कपड़ा देने और उनकी उच्च वर्ग की सेवा करना समस्या नहीं हैं, उनकी हीन–भावना को दूर करना है, जो उनकी वृद्धि में बाधक होती है .....।" मेरी राय में, यह हमारी सामाजिक मुसीबतों को हल करने का रामबाण है।

इस संबंध में केवल अम्बडेकर ही नहीं बल्कि कई ऐसे आंदोलन हुए हैं जिनमें विश्व भर में जाति प्रथा का उन्मूलन और भेदभाव समापत करने की बात की गई है, और इस दमन को नियंत्रित करने के प्रमुख साधनों के रूप में शिक्षा को हमेशा प्रस्तावित किया गया है (ओमवेट, 1993)।

4-4-2 f'k{kk vkj lkekftd :ikrj.k

आधुनिक समाजों में, शैक्षिक संस्थानों को सामाजिक उद्देश्य के प्रमुख साधन माना जाता है। व्यवस्था और प्रगति दोनों के लिए शिक्षा को अनिवार्य माना गया है। एक तरफ शिक्षा से अपेक्षा की जाती है कि पवित्र परंपराओं को बनाए रखें, प्राधिकार को सम्मान दे, कानूनी देशभक्ति और इसी तरह के अन्य का अनुसरण करें, दूसरी ओर शिक्षा से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास और परिवर्तन को बढ़ावा देने की आशा की जाती है।

प्रसार के माध्यम से शिक्षा सुलभता की समानता के मुद्दे, शिक्षा के माध्यम से सामाजिक समानता अर्जित करने की संभावना पर काफी लम्बे समय में विचार–विमर्श हो रहा है। सामाजिक रूपांतरण और शिक्षा के मध्य सम्बन्ध जटिल और निर्णायक हैं। अतः समान शैक्षिक अवस्था की उपेक्षा शिक्षा के माध्यम से सामाजिक रूपांतरण की संभावना को खतरे में डाल सकती है। हम यहाँ किस सामाजिक रूपांतरण की बात कर रहे हैं? शिक्षा का क्या महत्व है? विद्यालय में नामांकन और विद्यालयी शिक्षा का समापन सुनिश्चित करना क्यों महत्वपूर्ण है? शैक्षिक अन्तराल समाप्त करना और असंख्य विसंगतियों को दूर करना, शैक्षिक पहुँच समावेशन और उपलब्धि क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं?" अमर्त्य सेन द्वारा शिक्षा के महत्व को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया गया है:

- विश्व को ज्यादा सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए;
- जब लोग निरक्षर होते हैं तब उनकी अपनी कानूनी अधिकारों को जानने और याचना करने की योग्यता अत्यधिक सीमित हो सकती है जिससे की वे उन अधिकारों से विमुख हो सकते हैं। महिलाओं की सुरक्षा उनके पढ़ने और लिखने की योग्यता से जुड़ी है;
- निरक्षरता के कारण राजनीतिक सहभागिता निम्न स्तर की होती है और अपनी माँगों को व्यक्त करने की योग्यता नहीं होती;
- शिक्षित लोग स्वास्थ्य समस्याओं और महामारियों की स्थितियों से बेहतर ढंग से निपट सकते हैं; और
- घर में एवं घर के बाहर महिलाओं का कल्याण और सम्मान उनकी साक्षरता और विवेकपूर्ण निर्णयन द्वारा सुदश्ढ़ रूप में प्रभावित होता है। जो शिक्षित महिलाओं के सशक्तिकरण से उर्वरता दर में तेजी से गिरावट आती है।

यह स्पष्ट प्रमाण है कि शिक्षा व्यक्तिओं को, समाज को कई तरीके से रूपांतरित करने में सहायक होती है। अतः विद्यालय जाने वाली आयु के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर सुलभ कराना महत्वपूर्ण है। सभी बच्चों को, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के हों, उनके पूर्णतम सामर्थ्य तक शिक्षित करके हम सामाजिक रूपांतरण की अपेक्षा कर सकते हैं। तथापि, शिक्षा के अवसर प्रदान करना ही पर्याप्त नहीं है। स्पष्ट और अस्पष्ट दोनों पाठ्यचर्याओं द्वारा अदा की गई महत्वपूर्ण भूमिका वांछित सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन लाने में भी योगदान देती है। जैसा कि जैम्स बैंक्स (1991, 1993) का कहना है कि, जो अध्यापकों को अपनी व्यक्तिगत और सांस्कृतिक मूल्यों और अस्मिताओं की छान–बीन करने की इच्छा की बजाए, क्या पढ़ाया गया है, उस विषयवस्तु पर, क्या निर्भर करती है, महत्वपूर्ण है। "ज्ञान निष्पक्ष नहीं है" और "ज्ञान निर्माण का महत्वपूर्ण लक्ष्य समाज को सुधारने में लोगों की सहायता करना है।" इस संदर्भ में उसका तर्क है कि वह "परिवर्तनकारी पाठ्यचर्या" भारतीय संदर्भ में कक्षा में लिंग, जाति और समुदायगत पक्षपात का उन्मूलन, विशेष रूप से अध्यापकों के लिए चुनौती बना रहता है। यह पक्षपात प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों, जनजातीय बच्चों (पहाड़ी मजदूर, माझवारी और

छत्तीसगढ़ में पांडो) के बारे में रुढ़िबद्धता जैसे बाल्मिकी, रोहित, आदि इत्यादि ऐसे सुविधा वंचित विद्यार्थियों के प्रति अध्यापकों के रवैये से दृष्टिगत होता है (रामचन्द्रन, 2004: 84)

हम चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार शिक्षा में व्यक्तियों को सामाजिक–आर्थिक गतिशीलता प्रदान करने का सामर्थ्य है और किस प्रकार यह असमान समाज में समकारी का काम कर सकती है। यह व्यक्तियों को उनके जीवन–स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए गए निर्णय से सूचित कराने में मदद करती है। साथ–ही–साथ, यह सामाजिक रूपांतरण और परिवर्तन ला सकती है।

हमारे संविधान निर्माता, शिक्षा की भूमिका से अवगत थे। वे जानते थे कि यह साम्यपूर्व समाज सृजित करने में मदद कर सकती है। इसलिए, शिक्षा को हमारे संविधान में महत्वपूर्ण स्थिति और भूमिका प्रदान की गई है। वस्तुतः निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अब मौलिक अधिकार बन चुकी है।

4-5 ekfyd vfèkdkj vkj f'k{kk

निम्नलिखित स्थिति पर विचार कीजिए।

> *विमला दिल्ली के नजदीक एक गाँव में रहती है और घरों में काम करके रोजी–रोटी अर्जित करती है। उसकी दो लड़कियाँ हैं और वह उन्हें विद्यालय में पढ़ाने की अत्यंत इच्छुक है। उसका मानना है कि यदि वे पढ़ लिख जाएगी तो उन्हें उसकी तरह घर–घर जाकर घरेलू कामकाज करके जीवनयापन नहीं करना पड़ेगा। अपनी पसंद की नौकरी करके वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी। वे उन्हें पास के एक "इंगलिश मीडियम विद्यालय" में ले जाती है जहाँ उन्हें इस आधार पर दाखिला देने में मना कर दिया जाता है कि उनके माँ–बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, और चूँकि वे निम्न जाति की हैं तो अन्य माता–पिता को उनके बच्चों के साथ उस कक्षा में इनके साथ पढ़ने पर आपत्ति हो।*

fØ;kdyki 4-3

क्या संविधान में विमला जैसी निर्धन और अशिक्षित महिलाओं के लिए मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? क्या आपके विचार में विमला के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा है? इस मामले में किन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है?

....

....

....

....

....

....

....

लोकतंत्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यक्तियों के कुछ अधिकार हैं और सरकार इन अधिकारों को सदा स्वीकार करेगी। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकारों के महत्व को समझा और माँग की कि अंग्रेजी शासकों को लोगों के इन अधिकारों को सम्मान देना चाहिए। संविधान में अधिकारों के शामिल करने और सुरक्षा के सम्बन्ध में कोई दो राय नहीं थी। सभी इसके बारे में एक मत थे। संविधान में उन

अधिकारों को सूचीबद्ध किया जिन्हें विशेष रूप से सुरक्षित रखा जाएगा और उन्हें "मौलिक अधिकारों" का नाम दिया।

संविधान में प्रदत्त नागरिकों के मौलिक अधिकार समानता की भावना को मान्यता दी है और इन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के परिरक्षण में सहायता की है। ये अधिकार विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों पर सीमा (कुछ अवसादों को छोड़कर) का काम करते हैं। मौलिक अधिकारों की श्रेणी में निम्नलिखित अनुच्छेद भारत में शिक्षा पर विशेष बल देते हैं। स्वतंत्रता और समानता के अधिकार ऐसे दो अधिकार हैं जो लोकतंत्र के लिए अत्यधिक जरूरी हैं। इन्हें एक दूसरे के बिना देखना संभव नहीं है।

ewy dÙkZO;
Hkkjrh; lfoèkku
vuqPNsn 51,

भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वहः

- *संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें;*
- *स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें;*
- *भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें;*
- *देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें;*
- *भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं;*
- *हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें;*
- *प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखें;*
- *वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें;*
- *सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;*
- *व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू लें;*

  यदि माता–पिता या संरक्षक हैं, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

vuqPNsn 14 & "कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है। इसके अनुसार, राज्य कानून के समक्ष किसी भी व्यक्ति को समानता या भारत के राज्यक्षेत्र भीतर कानून के समान संरक्षण में वंचित नहीं रखेगा"। आधुनिक राज्य व्यक्तियों पर शक्तियों का प्रयोग करते हैं। समानता के अधिकार का आशय यह सुनिश्चित करना है, राज्य को शक्तियों

lfo/kku d vkèkkjHkr
fo'k"krk,¡ ,o f'k{kk
d Áko/kku

का प्रयोग विभेदकारी रूप में न किया जाए। शिक्षा के संदर्भ में प्रवेश नियमों को नियंत्रित करने के लिए यह कार्य करेगा और इस प्रकार यह सभी तक शिक्षा की पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है।

vuPNn 15 – यह अनुच्छेद राज्य द्वारा धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधारों पर भेदभाव की विरोध न करने की गारंटी प्रदान करता है। यह भारत में शैक्षिक अवसरों में समानता भी सुनिश्चित करता है।

vuPNn 15¼4½ – अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए सरकार को शक्ति प्रदान करता है।

vuPNn 16¼1½ – राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से सम्बन्धित विषयों पर सभी नागरिकों को समान अवसर की गारंटी देता है।

vuPNn 16 ¼4½ – सरकार नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण कर सकती है।

vuPNn 21, – यह छह से चौदह वर्ष के सभी बच्चों को (राज्य के कानून द्वारा निर्धारित तरीके से) निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। दिसम्बर 2012 में 86वें संविधान संशोधन को डालकर, ये अनुच्छेद शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर शैक्षिक विस्तार में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अधिकार का दर्जा प्रदान करता है। हमारा संविधान की शुरुआत में, शिक्षा को संविधान के भाग IV के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में शामिल किया गया। शिक्षा के अधिकार पर विस्तृत चर्चा अगली इकाई में प्रस्तुत की गई है।

vuPNn 24 – के अनुसार चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी भी जोखिम पूर्ण रोजगार में, किसी फैक्टरी या कारखाने के कार्य में नहीं रखा जाएगा।

vuPNn 28 – राज्य द्वारा चलाए जा रहे संस्थान न तो कोई धार्मिक उपदेश और न ही धार्मिक शिक्षा देंगे और किसी भी धर्म के व्यक्तियों का पक्ष नहीं लेंगे। यह धर्म–निरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखने और उसे बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन, न तो कोई राज्य और न ही कोई एजेंसी पूरी तरह राज्य के वित्तीय सहायता से किसी भी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता। तथापि, किसी भी ट्रस्ट या धर्मार्थ द्वारा स्थापित संस्थान के लिए छूट है, ऐसे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। इसके आगे अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य से मान्यता और सहायता प्राप्त विद्यालय में आने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना उनके माता–पिता की सहमति के किसी भी धार्मिक अनुदेश में भाग लेने के लिए विवश या बाध्य नहीं किया जा सकता। इसका अभिप्राय है कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित संस्थान जो राज्य में अनुदान सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं, वे संस्थान में प्रदान की जा रही धार्मिक शिक्षा का अनुसरण करने के लिए अपने विद्यार्थियों को विवश नहीं कर सकते। किसी भी विद्यार्थी पर अपनी धार्मिक विचारधारा को आरोपित किए बिना वे अपने धार्मिक स्वरूप को बनाए रख सकते हैं।

संविधान का अनुच्छेद 46 स्पष्टतया उल्लेख करता है कि राज्य विशेष मामले के रूप में कमजोर वर्गों और विशिष्ट रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और सामाजिक अन्याय और शोषण के सभी रूपों से उनको बचाएगा।

ckèk Á'u 4-1

fVIi.kh% क) अपने उत्तरों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए।
ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

1) किस तरह से ओम प्रकाश बाल्मिकी की अनुभव गाँव के विद्यालयों के अन्य बच्चों के अनुभवों के समान है? लिंग, जाति या धर्म आधारित भेदभाव से किस प्रकार विद्यार्थी प्रभावित होते हैं, चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

2) कई प्रतिवेदनों से ज्ञात होता है कि विगत में सफाई करने वालों से जुड़े जाति समूहों को उसी कार्य को आगे जारी रखने के लिए बाध्य किया जाता है। उनके बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। इस मामले में उनके कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है?

.....

.....

.....

.....

3) निम्नलिखित स्थितियों में कौन–से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा?

- यदि एक 13 वर्ष का बच्चा दरी बनाने वाले कारखाने में काम कर रहा है।

  .....

  .....

  .....

- यदि एक समूह के लोगों को केरल में तेलुगू माध्यम विद्यालय खेलने की अनुमति नहीं दी जाती है।

  .....

  .....

  .....

- यदि जमींदार के खेत में काम करने वाले मजदूर की बेटी को विद्यालय में प्रवेश न देकर उसी जमींदार के बेटे को ग्रामीण विद्यालय में प्रवेश लिया जाता है।

  .....

  .....

  .....

4-6 vYila[;dksa ds lkaLÑfrd vkSj f'k{kk lEcU/kh vf/kdkj

भारत जैसे लोकतंत्र में जहाँ लोग धर्म, भाषा, जाति, प्रजाति, संस्कृति और सामाजिक–आर्थिक कारकों के आधार पर विभक्त है, वहाँ भारत के संविधान निर्माताओं के कार्यों में से एक था देश के विभिन्न अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपाय निर्मित करना। अल्पसंख्यकों की आकांक्षाएँ, उनकी विशिष्ट पहचान और अधिकार अल्पसंख्यक निर्णय के कारण अक्सर दमित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यकों का विशिष्ट प्रयोजन लोकतंत्र की पूर्वापेक्षा है। तथापि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अल्पसंख्यकों की कई समस्याओं को या तो अनदेखा किया जाता है या अधिक मतों से पराजित कर दिया जाता है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितो ंकी रक्षा के लिए सुस्पष्ट गारंटी प्रदान करता हैः

1) भारत या उसके किसी हिस्से के प्रदेश में रहने वाले नागरिकों का कोई वर्ग जिसकी अलग भाषा, लिपि या अपनी संस्कृति है उसे उसको संरक्षित करने का अधिकार होगा।

2) राज्य द्वारा या राज्य निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाला कोई भी शैक्षिक संस्थान किसी भी नागरिक को केवल धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या इनमें से किसी एक आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं करेगा।

अल्पसंख्यक लोगों को अपनी भाषा और संस्कृति बनाए रखने के अधिकार के बारे में कहते हुए संविधान अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए उनके अधिकारों में सुस्पष्ट सुरक्षा को जोड़ता है, यह निश्चित रूप से भाषा अनुरक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

vuqPNsn 30 शिक्षा के लिए सरकार अनुदान प्राप्त करने में भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा के साथ इस अधिकार का विस्तार करता हैः

(1) सभी अल्पसंख्यकों को – चाहे वे भाषा या धर्म पर आधारित हैं, अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित और प्रबंधन करने का अधिकार होगा।

(1ए) खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रबंधित किसी भी शैक्षिक संस्था की, किसी भी सम्पत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण प्रदान करने संबंधी कोई भी कानून बनाते समय, राज्य सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए ऐसे कानून के तहत नियत या निर्धारित राशि ऐसी होगी जो उस खंड के अंतर्गत गारंटीशुदा अधिकार की निर्बंधन या निराकरण नहीं करेगी। शैक्षिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करने में राज्य इस आधार पर किसी भी शैक्षिक संस्थान के साथ भेदभाव नहीं करेगा कि इसका प्रबंधन अल्पसंख्यकों के अधीन है अथवा वह धर्म या भाषा पर आधारित है।

यह अंतिम खंड राज्य को शैक्षिक मानकों को विनियमित करने के लिए नहीं रखता बल्कि उन विरुद्ध विनियमों से संरक्षण करता है, जो शिक्षा के माध्यम से सरोकार रखते हैं। यह अल्पसंख्यकों के लिए एक प्रावधान है जो अदालतों में भी मान्य ठहराया जाता है।

इन सामान्य रक्षा उपायों के अलावा, भारतीय संविधान में विशेष निदेश शीर्षक से एक भाग को शामिल किया गया है, जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए सामान्य सुरक्षा में परे भाषा और शिक्षा सम्बन्धी मुद्दों को स्पष्टतया संबोधित किया गया है।

vuqPNsn 350 "शिकायतों से निवारण के लिए आवेदनों" में सभी लोगों को उस भाषा का प्रयोग करने के अधिकार की गारंटी देता है, जिसे वे समझते हैं। संविधान अधिनियम,

1956 द्वारा किए गए संविधान के सातवें संशोधन में भाषायी अल्पसंख्यक मुद्दों को संबोधित करते हुए दो अनुच्छेद जोड़े गए:

vuPNn 350, प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए सुविधाओं का प्रावधान करता है। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण का प्रयास यह होना चाहिए कि वे भाषायी अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा उनकी मातृभाषा में देने के लिए पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करें और ऐसी सुविधाओं के प्रावधान को सुरक्षित करने के लिए यदि राष्ट्रपति अनिवार्य या उचित मानते हैं तो वह राज्य को ऐसे निर्देश जारी कर सकते हैं।

vuPNn 350ch – भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी

1) भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।

2) विशेष अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से सम्बन्धित सभी बातों की जाँच–पड़ताल करें और जैसा राष्ट्रपति निर्देश दे उसी के अनुसार समय–समय पर इन विषयों सम्बन्धी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे और राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों के संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेंगे और राज्यों की संबद्ध सरकारों को भेजेंगे।

ckèk Á'u 4-2

fVIi.kh क) अपने उत्तरों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए।
ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

(4) निम्नलिखित में से कौन–सी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की सही व्याख्या है?

(क) जिस अल्पसंख्यक समूह ने शैक्षिक संस्थान खोला है केवल उसी समूह के बच्चे वहाँ पढ़ सकते हैं। (सही/गलत)

(ख) अल्पसंख्यक समूह के बच्चे सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ सकते। (सही/गलत)

(ग) सरकारी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को उनकी धारणाओं और संस्कृति से परिचित कराया जाए। (सही/गलत)

(घ) भाषायी और धार्मिक अल्पसंख्यक यह माँग कर सकते हैं कि उनके बच्चे सिवाय उनके अपने समुदाय द्वारा प्रबंधन किए जाने सम्बन्धी शैक्षिक संस्थान के अतिरिक्त किसी अन्य शैक्षिक संस्थान में न पढ़ें। (सही/गलत)

4-7 jkT; dh uhfr funs'kd fl)kUr vkj f'k{kk

हमारे संविधान–निर्माता इस तथ्य से अवगत थे कि स्वतंत्र भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इनमें से सबसे प्रमुख थी सभी नागरिकों के कल्याण और समानता की चुनौती। उन्होंने यह भी सोचा कि इन समस्याओं से निपटने के लिए नीति निर्देश की आवश्यकता है। इसी के साथ, संविधान ने भावी सरकारों को किसी भी नीति–निर्णय से बँधने के लिए विवश नहीं किया।

अतः संविधान में कुछ मार्गदर्शी निर्देश समाविष्ट किए गए लेकिन इन्हें कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया; उन्होंने सोचा कि इन मार्गदर्शी निर्देशों में निहित नैतिक बल यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार इन्हें गंभीरता से ले।

निदेशक सिद्धांतों के अध्ययन में मुख्य तीन चीजें सूचीबद्ध की गई हैं:

- वे लक्ष्य और उद्देश्य, जिन्हें समाज के रूप में हमें अपनाना/अनुसरण करना चाहिए;
- मौलिक अधिकारों के अलावा कुछ अन्य अधिकार जिनका प्रयोग व्यक्ति कर सकते हैं; तथा
- कुछ नीतियाँ जिन्हें सरकार को अंगीकार करना चाहिए।

राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक में सम्मिलित किए गए हैं।

इस श्रेणी के अंतर्गत तीन निदेशक प्रावधान हैं जो शिक्षा में राष्ट्रीय नीतियों और प्राथमिकताओं के लिए आधारभूत ढाँचा प्रदान करते हैं। ये हैं:

- vuPNsn 41: यह राज्य को उसकी आर्थिक क्षमताओं और विकास की सीमाओं के अंतर्गत *कार्य करने का अधिकार और सभी के लिए शिक्षा का अधिकार* प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने का निर्देश देता है।

- vuPNsn 45: राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों में एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद होने के नाते, इसने देश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नींव रखी। अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि *"राज्य इस संविधान के प्रारंभ होने के दस वर्षों के अंदर बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न करेगा जब तक कि वे चौदह वर्ष तक की आयु पूरी नहीं कर लेते*।" 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाने के लिए, अनुच्छेद 21ए के सन्निवेश के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 45 को संशोधित किया गया है, ताकि इसकी पहुँच को छः वर्ष की आयु तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा के कार्य क्षेत्र को सीमित किया जा सके।

  संविधान में कोई भी अनुच्छेद पृथक्करण में काम नहीं करता है। वही बात अनुच्छेद 45 के लिए भी सत्य है। अनुच्छेद 29(2) की तरह यह सभी के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता को सुनिश्चित करता है, जिसके अनुसार राज्य द्वारा सम्पोषित किसी भी संस्था में किसी को भी वंश, प्रजाति, जाति और भाषा के आधार पर प्रवेश के लिए मना नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21(ए) जो सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाता है, वह अनुच्छेद 45 को अत्यंत महत्व देता है। 15, 29(2), 15(3), 46 और 29(1) यह पाँचों अनुच्छेद भारत सरकार पर देश के सभी भागों में शैक्षिक अवसर की समानता प्रदान करने और इस लक्ष्य के लिए और पिछड़े हुए क्षेत्रों अथवा राज्यों को विशेष सहायता देने का उत्तरदायित्व सौंपते हैं।

- vuPNsn 46 : इसके अनुसार *"राज्य कमज़ोर वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को खास तरह से बढ़ावा देगा, और सामाजिक अन्याय और सभी तरह के शोषणों से उन्हें बचाएगा।"* इस प्रकार, अनुच्छेद 46, शिक्षा से संबद्ध अन्य सुसंगत अनुच्छेदों के साथ–साथ शैक्षिक अवसरों में गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए विशेष प्रावधान करके जो कि विभिन्न कारणों से पीछे रह गए हैं।

हो सकता है कि हम मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों को एक–दूसरे के पूरक के रूप में देखें। मौलिक अधिकार सरकार को कुछ चीजें करने के लिए नियंत्रित करते हैं जबकि निदेशक सिद्धांत सरकार को कुछ चीजें करने का उपदेश देते हैं। मौलिक अधिकार मुख्यतः व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं जबकि निदेशक सिद्धांत पूरे समाज के कल्याण को सुनिश्चित करते हैं।

4-8 ldkjkRed dkjokbZ

सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) इस धारणा पर आधारित है कि कानून द्वारा औपचारिक समानता स्थापित करना ही पर्याप्त नहीं है। जब हम उन असमानताओं को समाप्त करना चाहते हैं जो गहराई तक अपनी पैठ बना चुकी है, तब सामाजिक असमानताओं के संस्थापित रूपों को कम और दूर करने की दिशा में ज्यादा सकारात्मक कदम उठाना अनिवार्य हो जाता है। सकारात्मक कार्रवाई की अधिकांश नीतियाँ इस तरह तैयार की गई है ताकि वे पिछली असमानताओं के संचयी प्रभाव को ठीक कर सकें।

सकारात्मक कार्रवाई सुविधावंचित समुदायों के लिए छात्रवृत्तियाँ और छात्रावास जैसी सुविधाओं पर अधिमानी व्यय से लेकर शैक्षिक संस्थानों और नौकरियों में प्रवेश के लिए विशेष विचार तक कई रूपों में हो सकती है। हमारे देश में हमने शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण या आरक्षित सीटों की नीति अपनाई है ताकि वंचित समूहों को समानता का अवसर प्रदान कर सकें और यह अत्यधिक चर्चा और असहमति का विषय रहा है। कुछ समूह अपवर्तन और पृथक्करण के रूप में सामाजिक पूर्वग्रह और भेदभाव का शिकार बने हैं, इस तथ्य को आधार बनाकर इस नीति का बचाव किया जाता है। जिन समुदायों ने विगत जीवन में कष्ट भोगे और समान अवसरों से जिन्हें वंचित रखा गया, उनसे तत्काल यह आशा नहीं की जा सकती कि, वे दूसरों के साथ समान शर्तों पर प्रतियोगिता करें। इसलिए समतावादी और न्यायसंगत समाज का सृजन करने के लिए उन्हें विशेष सुरक्षा और सहायता दिए जाने की आवश्यकता है।

सकारात्मक कार्रवाई के रूप में विशेष सहायता को एक अस्थायी या समयबद्ध उपाय माना जा सकता है। इससे यह माना जाता है कि विशेष ध्यान से ये समुदाय विद्यमान अहितों पर काबू पा सकेंगे और फिर समान शर्तों पर दूसरों के साथ स्पर्धा कर सकेंगे। यद्यपि सकारात्मक कार्रवाई की नीतियाँ समाज को ज्यादा से ज्यादा समान बनाने की समर्थक रही फिर भी कई सिद्धांतवादी उनके विरुद्ध तर्कवितर्क करते हैं। वे यह प्रश्न उठाते हैं कि, लोगों के साथ अलग ढंग से व्यवहार करके क्या समानता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है?

सकारात्मक भेदभाव के समीक्षक विशेष रूप से आरक्षण की नीतियों के आलोचक, ऐसी नीतियों के विरुद्ध तर्क–वितर्क करने के लिए समानता के सिद्धांत का सहारा लेते हैं। उनका मानना है कि उच्च शिक्षा में प्रवेश या नौकरियों से वंचित लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान अनुचित है क्योंकि यह मनमाने ढंग से समाज के अन्य वर्गों को उनके समान बर्ताव के अधिकारों से वंचित करता हैं। उनका कहना है कि आरक्षण विपरीत भेदभाव के रूप है। समानता के सभी व्यक्तियों के मध्य एक सा व्यवहार करना अपेक्षित है और जब हम व्यक्तियों के मध्य उनकी जाति या रंग के आधार पर भेदभाव करते हैं तो ऐसे ये हम जाति और प्रजाति पूर्वाग्रहों को सुदृढ़ करते हैं। इन सिद्धांतवादियों के लिए समाज को विभाजित करने वाली सामाजिक विभेदों को दूर करना महत्वपूर्ण कार्य है।

इस चर्चा के संदर्भ में, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत और व्यक्तियों के समान अधिकारों के रूप में समानता के मध्य विभेद करना संगत है। व्यक्तियों को शैक्षिक संस्थानों और

सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार में प्रवेश के लिए समान रूप से विचार किए जाने का अधिकर प्राप्त है। कभी–कभी सीमित सीटों या नौकरियों के लिए स्पर्धा में वंचित स्तर के लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। उस प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थी जिनके माता–पिता व पूर्वज अशिक्षित थे, उनकी जरूरतों और परिस्थितियों को शिक्षित परिवारों में जन्मे लोगों से नितांत भिन्न होती हैं। अपवर्जित समूहों के सदस्यों के लिए चाहे वे दलित हों, महिलाएँ या कोई अन्य हों, राज्य को ऐसी सामाजिक नीतियाँ निर्मित करनी चाहिए जो ऐसे लोगों को बराबरी का दर्जा देने में और एक–दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का निष्पक्ष अवसर दें।

lafo/kku d: vkèkkjHkwr fo'ks"krk,¡ ,o: f'k{kk d: Áko/kku

शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में, भारत ने, सुविधावंचित आबादी के लिए उतना नहीं किया जितना उनके लिए किया जाना जरूरी था या जिसके वे हकदार हैं। विद्यालयी शिक्षा के असमानताएँ सुस्पष्ट हैं। ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी बस्ती के कई निर्धन बच्चों को विद्यालयों में लाने का अवसर ही नहीं मिलता। उन्हें यदि अवसर मिल भी जाता है तो उन्हें विद्यालयों में सर्वोत्कृष्ट कई विद्यालयों की तुलना में सुविधाएँ बहुत ही कम उपलब्ध होती हैं। बच्चे जिन असमानताओं के साथ विद्यालय में प्रवेश लेते हैं, वे असमानताएँ उनकी शैक्षिक योग्यताओं को सुधारने या अच्छा रोजगार प्राप्त करने के अवसरों में बाधक होती हैं। उन्हें उत्कृष्ट व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने में कई दिक्कतें आती हैं क्योंकि, उनके पास विशेष कोंचिंग की फीस अदा करने के लिए पैसे या साधन नहीं होते हैं। इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शुल्क भी अत्यधिक होते हैं। परिणामस्वरूप वे निर्धन बच्चे, ज्यादा सुविधा प्राप्त वर्गों के बच्चों के साथ समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते।

f'k{kk e: vlekurk,¡

क्या निम्नलिखित तालिका में विभिन्न समुदायों के शैक्षिक उपलब्धि में दर्शाए गए अंतर पर्याप्त हैं? क्या ये अंतर संयोगवश हो सकते हैं? या, क्या ये अंतर जाति प्रथा की कार्य प्रणाली की ओर इशारा करते हैं? इसमें आप जाति प्रथा के अलावा क्या कोई अन्य कारक भी देखते हैं। आइए, इन आँकड़ों को देखें।

rkfydk 4-1 % lkekftd lewgk: dh xzkeh.k lk{kjrk vkSj 'kSf{kd :ijs[kk

ग्रामीण	ST	SC	OBC	Others	UCH[3]
निरक्षर[1]	578	534	452	323	183
साक्षर[1]	422	466	548	677	817
सभी	1000	1000	1000	1000	1000
विद्यालय छोड़ने दर[2]	87.7	86.5	82.3	75.1	35.2
पूरा करने वालों की दर[2]	5.0	5.2	7.1	10.8	11.4

fVIi.kh% (1) सात वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का प्रति हजार वितरण।
(2) सात वर्ष या उससे अधिक आयु के साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत।
(3) उच्च हिन्दू जाति (UCH), अन्य का उपसमुच्चय है।

rkfydk 4-2 % lkekftd leqgk dh 'kgjh lk{kjrk vkj 'kf{kd :ijs[kk

ग्रामीण	ST	SC	OBC	Others	UCH[3]
निरक्षर[1]	300	338	247	135	34
साक्षर[1]	700	662	753	865	966
सभी	1000	1000	1000	1000	1000
विद्यालय छोड़ने दर[2]	67.9	76.1	67.9	51.2	34.9
पूरा करने वालों की दर[2]	19.4	11.6	15.9	30.4	43.7

fVIi.kh% (1) सात वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का प्रति हजार वितरण।
(2) सात वर्ष या उससे अधिक आयु के साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत।
(3) उच्च हिन्दू जाति (UCH), अन्य का उपसमुच्चय है।

(lkr% मोहन्ती, 2006)

इनमें से कई बच्चे उच्च श्रेणियों में प्राथमिक विद्यालय मध्य में ही छोड़ देते हैं और माध्यमिक शिक्षा तक आगे नहीं जाते हैं। शिक्षा का खराब गुणवत्तापूर्ण स्तर एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है जिससे प्रतिधारण कम हो जाता है। विद्यालयों में पर्याप्त साधन और सामग्रियाँ उपलब्ध नहीं होते। विद्यालयों की हालत खराब होती है, वहाँ अध्यापकों और आधारभूत संरचना का अभाव अमैत्रीपूर्ण है। विद्यालय का परिवेश अमैत्रीपूर्ण एवं सुविधावंचित विद्यार्थियों के साथ भेदभाव होती है (प्रोब, 1999)। हमें यह समझना होगा कि मात्र शिक्षा तक पहुँच शिक्षा में साक्ष्य सुनिश्चित नहीं करती, बल्कि प्रतिधारण और समापन भी उतना ही महत्व रखते हैं।

अनुसूजित जातियों के विद्यार्थियों का विद्यालयों में नामांकन दर और विद्यालय छोड़ने की दर सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में अत्यंत नकारात्मक है। उनके पिछड़ेपन के सूचक दर्शाते हैं कि सकारात्म्क नीति का कार्यान्वयन समुचित रूप से नहीं हो रहा। सुरक्षित विभेदीकरण नीति के साथ इन समूहों की "धारिता प्रतिभा" की उपागम इस स्थिति को बहुत ही कम बदल पाई है। सुरक्षित भेदभाव की नीति के सांविधानिक उपायों को संचालन के पचास वर्षों बाद भी वांछित लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धि में अभी भी अन्तराल है। केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अनुसूजित जातियों और अनुसूजित जनजातियों का प्रतिनिधित्व इस वास्तविकता को बयान करता है।

इस संदर्भ में, यहाँ बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है। अधिनियम में प्रत्येक ग़ैर–सरकारी असहायता प्राप्त विद्यालय के लिए शुरुआत स्तर की कक्षा में, कमजोर और सुविधा वंचित वर्ग के कम से कम 25 प्रतिशत ऐसे बच्चों के प्रवेश देना अनिवार्य है। विद्यार्थियों के इस वर्ग के लिए राज्य सरकार विद्यालयों को उनके द्वारा ली जाने वाली शुल्क या राज्य विद्यालयों में प्रति बच्चा व्यय जो भी कम होगा, उसके बराबर की राशि की प्रतिपूर्ति करेगी।

हाल ही के 13 अप्रैल, 2012 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय में न्यायपीठ ने धारा 12 की वैधता को बनाए रखा। न्यायपीठ का कहना था कि 25 प्रतिशत आरक्षण सभी सरकारी

और असहायता प्राप्त ग़ैर–सरकारी विद्यालयों पर एक समान रूप में लागू होगा। इनमें असहायता प्राप्त और ग़ैर–सरकारी अल्पसंख्यक विद्यालयों और आवासीय विद्यालय शामिल नहीं हैं।

समावेशी शिक्षा, विशेष रूप में अनुसूजित जातियों, अनुसूजित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, लड़कियों, मुस्लिम बच्चों के लिए कई अग्रलक्षी उपाय करने के बाद नीचे दर्शाया गया आँकड़ा नामांकन की मिली–जुली तस्वीर प्रस्तुत करता है।

lhekUrorhZ ÁkFkfed fo|kfFkZ;ksa dk ukekadu {kh.k gksuk

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (2012) की प्रारंभिक शिक्षा पर व्यापक रिपोर्ट नामांकन में वृद्धि दर्शाती है, लेकिन अनुसूचित जातियों, अनुसूजित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम विद्यार्थियों में सीमांत गिरावट को दर्शाती हैं।

सभी सामाजिक समूहों में लड़कियों का नामांकन स्थिर हुआ है। लेकिन समग्र नामांकन में बढ़ने का निहितार्थ (sub-text) सभी राज्यों में असमान है। राजस्थान और पश्चिम बंगाल के राज्यों के नामांकन में बहुत ज्यादा गिरावट दृष्टिगत हुई है लेकिन दिल्ली और पंजाब में नामांकन में प्रभावशाली वृद्धि दर्शाते हैं।

प्राथमिक कक्षाओं (I-V) में 2009–10 में नामांकन 13.34 करोड़ से बढ़कर 13.52 करोड़ हो गया है। तथापि राजस्थान में 2009–10 के दौरान यह 86.27 लाख से गिर कर 84.32 लाख हुआ है। इसके विपरीत पंजाब में यह 18.50 लाख (2009–10) में हुआ है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों (VI-VIII) में नामांकन 5.44 से बढ़कर 5.79 करोड़ का हुआ है। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा अत्यंत वृद्धि को दर्शाते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में लड़कियों के नामांकन में परिवर्तन नहीं आया। यह अभी 48.4 प्रतिशत है, जो उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी यह बिना किसी परिवर्तन के अभी भी 48.39 प्रतिशत है (2009–10)।

प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों का नामांकन थोड़ा कम हुआ है। पहले यह 19.81 प्रतिशत था लेकिन अब 19.06 प्रतिशत है (2009–10)। कुल अनुसूचित जातियों के नामांकन में 49 प्रतिशत लड़कियों का है। अनुसूचित जनजातियों के नामांकन में नगण्य परिवर्तन हुआ है। यह 10.93 प्रतिशत से 10.7 प्रतिशत हो गया है (2009–10)। इसमें अनुसूचित जनजाति के नामांकन में लड़कियों का आधा नामांकन जारी है। लेकिन अन्य पिछड़े वर्ग में प्राथमिक स्तर के नामांकन में पिछले वर्ष के 42.15 प्रतिशत के नामांकन से कम होकर 40.09 प्रतिशत रह गया है। उच्च–प्राथमिक सतर पर भी इस प्रकार गिरावट देखने में मिली है। प्राथमिक विद्यालयों (13.04 प्रतिशत) और उच्च प्राथमिक स्तर (11.25 प्रतिशत) में मुस्लिमों के नामांकन में थोड़ी गिरावट आई है। 2009–10 में नामांकन थोड़ा सा बेहतर हुआ था। यह प्राथमिक कक्षाओं में 13.48 प्रतिशत और उच्च प्राथमिक स्तर पर 11.89 प्रतिशत था। आधारभूत अवसंरचना की दृष्टि से देखें तो 55.33 प्रतिशत विद्यालयों में वृद्धि हुई है तथा लड़कियों के लिए शौचालयों और लड़कों के लिए शौचालयों (35.44 प्रतिशत) में वृद्धि हुई है। 2009–10 में केवल 50.9 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों के लिए शौचालय था और 25.72 प्रतिशत में यही सुविधा लड़कों के लिए भी थी। कुल अध्यापकों में अनुसूचित जातियों और महिला अध्यापकों के प्रतिशत में सीमांत वृद्धि हुई है। लेकिन अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के अध्यापकों में सीमांत गिरावट आई है।

fØ;kdyki 4-4

उपर्युक्त आँकड़ों से आप किस नतीजे पर पहुँचे? आपके विचार में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नामांकन में गिरावट के क्या कारण हैं? कौन–से राज्यों का निष्पादन अच्छा है? किन राज्यों का निष्पादन अच्छा नहीं है?

.....

.....

.....

.....

.....

ckèk Á'u 4-3

fVIi.kh% क) अपने उत्तरों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए।
ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

5) लड़कियाँ, अपने माँ–बाप पर बोझ, रुढ़िवादी विचार, किस प्रकार अपनी बेटी के जीवन पर प्रभाव डाल सकती हैं इस स्थिति की कल्पना कीजिए? कक्षा में कम से कम पाँच ऐसे अलग–अलग रुढ़िबद्ध प्रभावों को सूचीबद्ध कीजिए जो लड़कियों की शिक्षा पर असर डाल सकते हैं।

.....

.....

.....

.....

6) कभी–कभी लोग हमारी उपस्थिति में प्रतिकूल प्रभाव डालने की टिप्पणी करते हैं। अक्सर हम तत्क्षणात इसके बारे में कुछ कहने की स्थिति में नहीं होते क्योंकि उसी समय कुछ भी कहना ठीक नहीं लगता। कक्षा को अलग–अलग समूहों में विभक्त करें और प्रत्येक समूह को निम्नलिखित स्थितियों में जो वे कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए कहें:

क) एक मित्र अपने सहपाठी की गरीबी का परिहास करता है।

ख) कक्षा में एक विद्यार्थी समुदाय के उच्चारण को लेकर उनका परिहास करता है।

ग) कुछ लड़के–लड़कियों के खेल, न खेल पाने को लेकर उनपर टिप्पणियाँ करते हैं।

चर्चा कीजिए कि उपर्युक्त स्थिति के बारे में कक्षा के विभिन्न समूहों ने क्या सुझाव दिए और यह भी चर्चा कीजिए कि यह समस्याएँ अध्ययन–अध्यापन प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित कर सकती हैं।

.....

.....

.....

.....

4-9 Hkk"kk uhfr

संविधान के रचयिताओं के लिए विविधता के प्रति सम्मान का अभिप्राय यह सुनिश्चित करना था कि सभी के अपनी–अपनी भाषा बोलने की स्वतंत्रता हो और किसी भी एक भाषा को अनुसरण करना सभी के लिए अनिवार्य न बनाया जाए।

4-9-1 f'k{kk dk ekè;e

एक बहुभाषी समाज होने के कारण भारत में शिक्षा का एक समान माध्यम, प्रायोगिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया था। शिक्षा की अधिकतम पहुँच के लिए मातृ भाषा के महत्व को मान्यता दी गई। इस संदर्भ में भारतीय संविधान का "vuPNn 354ß संस्तुत करता है कि *"यह राज्य का प्रयास होगा कि वह शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर भाषायी अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करें और ऐसी सुविधाओं के प्रावधानों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति ऐसे निर्देश किसी भी राज्य को जारी कर सकता है, जैसा कि वह आवश्यक अथवा ठीक समझता है।"*

स्वतंत्रता के रचनात्मक वर्षों में राजनीति आम राय के रूप में उभरी। भाषा नीति भारतीय संदर्भ में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का एक दृष्टांत है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले शैक्षिक सलाहकार निकायों और राजनेता द्वारा राजनीतिक और शैक्षिक दृष्टिकोणों से विचार–विमर्श और वार्तालापों के उपरांत एक–चौथाई शताब्दी के बाद हिस्से में नीति या कार्यनीति के रूप में एक त्रिभाषा सूत्र उभर कर सामने आया।

भारत के प्राचीनतम शिक्षा सांविधिक निकाय केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (Central Advisory Board on Education - CABE) ने वर्ष 1940 के दशक में विद्यालयी शिक्षा में भाषाओं पर चर्चा की पहल की और सन् 1960 तक उनकी चर्चाओं में यह एक प्रमुख सरोकार रहा। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने ऐसे पाँच प्रमुख मुद्दों की पहचान की जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। वे मुद्दे थेः

1) विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पढ़ाई जाने वाली भाषाओं की संख्या।
2) द्वितीय और तृतीय भाषाओं का परिचय।
3) अंग्रेजी भाषा का स्थान और भूमिका।
4) हिन्दी भाषा का स्थान और भूमिका।
5) विद्यालय में संस्कृत और गौण भाषा(ओं) का शिक्षण।

4-9-2 f=Hkk"kk l=

विद्यालय में भाषाओं के अध्ययन के व्यापक विचार को लिया गया और शिक्षा आयोग द्वारा ठोस सिफारिशें प्रस्तुत की गईं। भारतीय संदर्भ की विविधता को ध्यान में रखकर आयोग द्वारा एक रूपांतरित या क्रमिक त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की गईः

1) मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा;
2) संघ की राज भाषा या संघ की सहयोगी राज भाषा जब तक वह विद्यमान रहती; और
3) आधुनिक भारतीय या विदेशी भाषा जो उपर्युक्त (1) और (2) में शामिल न की गई हो और शिक्षा के माध्यम में प्रयुक्त होने वाली भाषा के अतिरिक्त हो।

भाषा की योजना बनाने और नीति–आयोजकों द्वारा भाषा को जिस रूप में देखा गया – इन दोनों के मद्देनजर अंग्रेजी की भूमिका की स्थिति और भूमिका पर आयोग का अवलोकन महत्व रखता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (National Policy on Education, NPE-1986) में देखा गया कि प्राथमिक और माध्यमिक अवस्थाओं में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग पहले से ही हो रहा है। माध्यमिक अवस्था में राज्य सरकारों के त्रिभाषा फार्मूले को अंगीकार और सख्ती में कार्यान्वित करना चाहिए जिसमें आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन शामिल है और उसमें भी हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त एक दक्षिण क्षेत्र की भाषा तथा अहिन्दी भाषी राज्यों में एक क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के साथ हिन्दी का अध्ययन करना शामिल है।

f'k{k.k esa ekrHkk"kk dh Hkwfedk

प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से जिन विशिष्ट कौशलों को अर्जित की अपेक्षा की जाती है उनमें बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि पर हुए अध्ययन दर्शाते हैं कि, जिन्हें घर में बोले जाने वाली भाषा में नहीं पढ़ाया गया ऐसे बच्चों के पठन योग्यताएँ खराब होती हैं, वे गणित के क्षेत्रों में दक्ष नहीं होते और विज्ञान में भी उनका निष्पादन खराब होता है।

विद्यालयों में संचार भाषा और विद्यालयों में जिस माध्यम में शिक्षा दी जाती है, ये दोनों अधिगम प्रक्रिया में अत्यंत महत्व रखते हैं। पाठ्यचर्या के विषयों में बच्चे की पहुँच विद्यालय में शिक्षा के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा में न्यूनतम दक्षता स्तर पर निर्भर करती है। इसलिए, विद्यालयी शिक्षा के माध्यम के रूप में भाषा की भूमिका को समझना महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से भारत जैसे बहु–सांस्कृतिक बहु–भाषी समाज में अध्यापकों को भी यह समझना होगा कि किस भाषा में बच्चे सुविधाजनक महसूस करते हैं। विद्यालय को उस भाषाओं का प्रयोग करने की स्वतंत्रता प्रक्रिया को सुगम बना सकती हैं और उनकी भाषायी और अवधारणात्मक योग्यताओं में योगदान दे सकती हैं।

4-10 la?kh; lajpuk

संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया और भारत संघ संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। मूल रूप से संविधान में सरकारों की द्वि–स्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया गया था। संघ सरकार या जिसे हम केन्द्र सरकार कहते हैं, जो भारत संघ का निरूपित करती है और राज्य सरकारें। बाद में तीसरे स्तर पर संघीय को जोड़ दिया गया जो पंचायतों और नगरपालिकाओं के रूप में था। संविधान में स्पष्ट रूप में संघ सरकार और राज्य सरकार के मध्य विधायी शक्ति का त्रिस्तरीय विभाजन दिया गया है। इस प्रकार इसमें तीन सूचियाँ हैं वे हैं संघ, राज्य और समवर्ती सूची।

4-10-1 'kfDr;ksa dk foHkktu vkSj fodsUæh;dj.k

भारत में विधायी शक्तियाँ तीनों शाखाओं में विभक्त हैं। संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ हैं – la?k lwph जिसमें 99 प्रविष्टियाँ (विषय) हैं और इन प्रविष्टियों में राष्ट्रीय महत्व रखने वाले विषय (सुरक्षा, विदेशी कार्यकलाप, बैंकिंग इत्यादि) शामिल हैं, जिनके विषय में एकमात्र संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। jkT; lwph में 61 प्रविष्टियाँ (विषय) हैं जिसमें राज्य और स्थानीय महत्व के विषय (पुलिस, व्यापार,

वाणिज्य, कृषि) सम्मिलित हैं। इनसे सम्बन्धी कानून बनाने के लिए राज्य विधायिका को अनन्य शक्तियाँ दी गई हैं और 52 प्रविष्टियों (विषयों) वाली **leorhZ lwph** में सामान्य हितों के विषय हैं जहाँ केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों के पास विधायी शक्तियाँ हैं (केन्द्र और राज्य सरकार की विधायिका के मध्य विवाद की स्थिति में केन्द्र सरकार की सर्वोच्चता मानी जाती है)। शिक्षा को सभी तीनों सूचियों में स्थान दिया गया है।

- **la?k lwph**

इस सूची में शामिल 99 प्रविष्टियों (विषयों) में से 6 प्रविष्टियाँ शिक्षा से संबंधित हैं। ये निम्नलिखित हैं:

Áfof"V 13% विदेशों के साथ शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संबंध।

Áfof"V 62% राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएँ जैसे राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय संग्रहालय, इम्पिरियल वार मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल और इंडियन वार मेमोरियलः इस तरह की कोई अन्य संस्था पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित और वैधानिक रूप से एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित की गई हो।

Áfof"V 63% इस संविधान के प्रारंभ होने के समय जानी जाने वाली संस्थाएँ जैसे बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय और कोई अन्य संस्था जो वैधानिक रूप से राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित की गई है।

Áfof"V 64% वैज्ञानिक अथवा तकनीकी शिक्षा की संस्था जो पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित हो और वैधानिक रूप से राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित की गई हो।

Áfof"V 65% संघीय अभिकरण और संस्थाएँ – (क) पेशेवर (वृत्तिपरक), व्यावसायिक अथवा तकनीकी प्रशिक्षण के लिए, पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण सहित (ख) विशेष अध्ययन अथवा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए और (ग) अपराध की जाँच अथवा अभिज्ञान में वैज्ञानिक अथवा तकनीकी सहायता के लिए।

Áfof"V 66% उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थाओं के मानकों का संयोजन एवं निर्धारण।

ɩ jkT; lwph

राज्य सूची में शामिल 61 मदों (विषयों) में से 2 शिक्षा से संबंधित हैं:

Áfof"V 11% यह निर्धारित करती है कि "संघ सूची की प्रविष्टियों 63, 64, 65 और 66 और समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 के अधीन विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा राज्य की विषयवस्तु होनी चाहिए।"

Áfof"V 12% पुस्तकालयों, संग्रहालयों और अन्य सभी प्रकार की संस्थाओं को राज्य के क्षेत्राधिकार में रखती है, जो राज्य द्वारा नियंत्रित और वित्त पोषित होती हैं, साथ ही साथ प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और अभिलेखों को भी (उनके अलावा जो राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए हैं)।

ι leorh lph

Áfof"V 20: आर्थिक और सामाजिक नियोजन।

Áfof"V 25: शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, प्राथमिक और विश्वविद्यालयी शिक्षा, श्रमिकों के व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण सहित।

Áfof"V 262: वैधानिक (कानूनी) चिकित्सकीय और अन्य व्यवसाय।

Áfof"V 28: दानशील और धर्मार्थ संस्थाएँ।

Áfof"V 39: समाचारपत्र, पुस्तकें और प्रिन्टिंग प्रेस।

रोचक तथ्य यह है कि राज्य सूची में शिक्षा को मूल रूप में विधायी मद के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 1976 मे 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे बाद में समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया। आज, समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 उल्लेख करती है कि "तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा सहित शिक्षा और विश्वविद्यालय, सूची 1 की प्रविष्टियों 63, 64, 65 और 66 के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं''।

jkT; lph ls leorh lph rd f'k{kk dk mÌs'; vkSj gLrkarj.k ds fufgrkFk

संविधान में 18 दिसम्बर 1976 को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। इससे पहले यह राज्य सूची में थी। श्री स्वर्ण सिंह समिति द्वारा संशोधन सुझाया गया जिसके अनुसार "कृषि और शिक्षा वांछित सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनों को प्राप्त करने की दिशा में देश की त्वरित प्रगति के लिए प्रमुख महत्व के विषय हैं। इन दो विषयों से सम्बन्धित भारत की सभी नीतियों को विकसित करने की आवश्यकता पर अत्यधिक बल नहीं दिया जा सकता है।

1976 के संविधान संशोधन और उसके निहितार्थों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (National Policy on Education, NPE-1986) और 1992 में चर्चा की गई नीति स्पष्ट रूप से संशोधन के सारभूत, वित्तीय और प्रशासनिक निहितार्थों को निर्दिष्ट करती है। नीति के अनुसारः

"संघ सरकार शिक्षा के राष्ट्रीय और समाकलित स्वरूप के प्रबलीकरण के लिए, गुणवत्ता और मानकों (सभी स्तरों पर शिक्षण व्यवसाय सहित) को बनाए रखने, मानव शक्ति के विकास के संदर्भ में समग्रतः देश के शैक्षिक आवश्यकताओं का अध्ययन और निगरानी करने, शोध और उच्च अध्ययन की आवश्यकताओं की पूर्ति, शिक्षा, संस्कृति और मानव संसाधन विकास के अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं की देखरेख, और सामान्यतः देश भर के शैक्षिक पिरामिड़ के सभी स्तरों पर उत्कृष्टता को बढ़ावा देने की बड़ी जिम्मेदारी को स्वीकार करेगा।"

इस तरह, शिक्षा विभाग (भारत सरकार) ने स्पष्ट रूप से इस संशोधन के एक परिणाम के रूप में केन्द्र द्वारा निर्धारित मानकों को परिकल्पित किया।

4-11 ipk;rh jkt lLFkk,¡ vkSj f'k{kk

लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि जो काम स्थानीय रूप में किया जा सकता है उसे स्थानीय लोगों और उनके प्रतिनिधियों पर छोड़ देना चाहिए। आम जनता राज्य या राष्ट्रीय स्तर की सरकार की अपेक्षा, अपनी स्थानीय सरकार में ज्यादा परिचित होते हैं,

और ये लोग कार्यों से ज्यादा जुड़े होते हैं क्योंकि उनकी दैनिक जीवन पर उनका सीधा प्रभाव होता है। इस तरह स्थानीय सरकार को मजबूत बनाना, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत बनाना जैसे है।

सन् 1989 में, केन्द्र सरकार द्वारा दो संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत किए गए। बाद में सन् 1992 में, संसद द्वारा 73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन पारित किया जिसमें शिक्षा कार्यक्रमों सहित सरकार के योजना बनाने, उनके कार्यान्वयन और निगरानी के स्थानीय समुदायों और संस्थाओं की सहभागिता का उल्लेख किया गया। इन संशोधनों का लक्ष्य स्थानीय सरकारों को मजबूती प्रदान करना और देश भर में उनकी संरचना और कार्य संरचना में एकरूपता को सुनिश्चित करना था।

fo"k;ksa dk gLrkarj.k

29 विषयों जो पहले राज्य सूची के विषयों में सम्मिलित थे उनकी पहचान करके उन्हें संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया। यह विषय पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किए जाते हैं। ये अधिकांश विषय स्थानीय स्तर के विकास और कल्याण कार्यों से जुड़े हैं।

ग्यारहवीं अनुसूची में शिक्षा से सम्बन्धित सूचीबद्ध कुछ विषय इस प्रकार हैं:

- शिक्षा जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय सम्मिलित हैं;
- तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा;
- प्रौढ़ और ग़ैर–औपचारिक शिक्षा; और
- पुस्तकालय।

4-11-1 i¡pk;rh jkt laLFkk,¡ vkSj f'k{kk dk vfèkdkj vfèkfu;e

पंचायतों को हस्तांतरित करने के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जिन 29 विषयों की पहचान की गई उनमें शिक्षा भी एक विषय था। शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, प्रौढ़ और ग़ैर–औपचारिक, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा शामिल है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम विकेन्द्रीकरण की इस प्रतिबद्धता को जारी रखे हुए हैं। इसका कथन है कि राज्य का प्रत्येक विद्यालय (जिसमें सहायता प्राप्त विद्यालय भी शामिल हैं) के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति (School Management Committee - SMC) गठित की जाए जिसमें अभिभावकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। अभिभावकों के प्रतिनिधियों में कम–से–कम 3/4 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। अधिनियम द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति पर निम्नलिखित दायित्व डाले गए हैं:

- विद्यालय के प्रतिनिधि के कार्य की निगरानी।
- समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय विकास योजनाएँ तैयार करना; और
- विद्यालयों के विकास के लिए अनुदानों का उपयोग करना।

4-11-2 lkeqnkf;d lgHkkfxrk vkSj f'k{kk

शिक्षा के अधिकार का एक अन्य पूर्वगामी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में भी शिक्षा की गुणवत्ता और जवाबदेही के संवर्धन के साधन के रूप में समुदाय सहभागिता पर बल दिया गया है। इस दस्तावेज के अनुसार:

- शिक्षा कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी का विकेन्द्रीकरण;
- प्रणाली को कम नौकरशाही और अध्यापकों की ज्यादा जवाबदेही और विद्यालयों को बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति ज्यादा स्वायत्त और अनुक्रियाशील बनाने के एक प्रमुख कदम के रूप में पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना;
- सभी विषयों के अनिवार्य घटक के रूप में समुदाय को सहभागिता के माध्यम से शिक्षा समर्थ बनाना;
- विद्यालय पाठ्यचर्या में विशिष्ट ज्ञान और अनुभवों को शामिल करने या न करने के बारे में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए स्थानीय समुदाय के साथ कार्य करना, तथा मौखिक इतिहास या परंपरागत ज्ञान के बारे में बताने के लिए स्थानीय समुदाय का एक बहुमूल्य संसाधन के रूप में प्रयोग करना; और
- राज्य और नागरिक समाज के समूहों सहित स्थानीय समुदायो ंऔर अन्य सहयोगियों के मध्य विभिन्न स्तरों पर सहयोग और सहभागिता करना।

4-11-3 lkeqnkf;d] l'kfDrdj.k % lQyrk dh dgkfu;k

निम्नलिखित केस अध्ययन बताते हैं कि किस प्रकार स्थानीय समुदाय के सदस्य न केवल आधारभूत संरचना बल्कि अपने विद्यालय के संदर्भ में पाठ्यचर्या और ग़ैर–पाठ्यचर्या अंतक्षेपों को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकते हैं:

dsl 1

le>'kkyk ekMy

जिला ओसमानाबाद का महादेव नगर गाँव परधी समुदाय (अधिसूचित जनजातियों) का घर है जो ब्रिटिश कानून के अंतर्गत जो "अपराधी" के नाम से मशहूर थे। गाँव में सड़कों और स्वच्छता जैसी आधारभूत सुविधाएँ नहीं हैं। बच्चे ज्यादातर विद्यालयों से गायब रहते हैं और माता–पिता कार्य स्थलों पर मजदूरी के लिए अन्य स्थानों पर चले जाते हैं या कारावास में हैं। इस तरह उनके बच्चों की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। हालाँकि समुदाय को टेलीविजन जैसी आधुनिक सुविधाएँ सुलभ हैं, लेकिन बच्चे की शिक्षा एक उपेक्षणीय पहलू बना रहा। पिछले दो वर्षों में, प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के लिए समुदाय ने क्रांतिकारी कदम उठाया। जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जो माता–पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजेंगे उन्हें 25,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।

इसी तरह, काफी लम्बे संघर्ष के बाद सरकारी प्रशासन से विद्यालय के भवन के लिए भूमि प्राप्त करने में सफल रहे। आज समुदाय के युवा और महिलाओं सहित माता–पिता और गाँव के नेता अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक साथ मिलकर आगे आए हैं।

dsl 2

पिछले दो वर्षों में महाराष्ट्र के मराठावाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों के जनजातीय और दलित जनसंख्या वाले दूरस्थ गाँवों में 20 सरकारी विद्यालय प्राथमिक शिक्षा के बेहतर छवि के रूप में उभर कर सामने आए हैं। यह समझशाला कार्यक्रम के तहत किए गए सामूहिक प्रयास का परिणाम है। प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता को संवर्धित समुदाय सहभागिता और स्वामित्व के माध्यम से बढ़ावा देने के लिए यह पहल की गई।

पिछले दो वर्षों में समुदाय सदस्यों ने विद्यालय के प्रशासन और विभिन्न कार्यों की निगरानी और पर्यवेक्षण करना प्रारंभ कर दिया है। इससे कार्यक्रम के अंतर्गत सदस्यगण, गीत विद्यालय प्रबंधन बोर्ड की सदस्यता और स्वामित्व की भावना के साथ कार्य कर रहे हैं। समुदाय की सहभागिता के फलस्वरूप बच्चों का 100 प्रतिशत नामांकन हुआ है और बच्चों के निष्पादन में सुधार दृष्टिगत हो रहे हैं। समझशाला मॉडल के कार्यान्वित करने वाले स्थानीय ग़ैर–सरकारी संगठनों ने विद्यालयों और समुदायों के मध्य सम्बन्ध सुधारने और नवीन शिक्षण सहायक सामग्रियों और विधियों तथा नियमित गतिविधियों के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हैं। इससे बच्चों के लिए शिक्षा एक रोचक और मनोरंजन अनुभव बनता जा रहा है।

समुदाय सहभागिता और खंड स्तर पर समर्थक प्रयासों के फलस्वरूप इन ग्रामीण प्राथमिक सरकारी विद्यालयों को भौतिक सुविधाएँ जैसे खेल का मैदान, रसोईघर, कक्षा के कमरों की मरम्मत और विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा का निर्माण, उपलब्ध हो पाई है।

¼lkr½ कपूर, 2010)

4-11-4 fo|ky; Ácèku lefr dh Hkwfedk

विद्यालय प्रबंधन समिति निम्नलिखित में सक्रिय रूप में भाग ले सकती हैं:

- विद्यालय बजट तथा बजट सम्बन्धी आवंटन का संचालन।
- पाठ्यचारी/सह–पाठ्यचारी कार्यक्रमों से सम्बन्धी निर्णय सहित नीति–निर्णय।
- वार्षिक कैलेंडर निर्धारित करना और यह सुनिश्चित करना कि विद्यालय को प्रतिवर्ष कम से कम 200 दिनों तक कक्षा में पढ़ाया जाएँ।
- शारीरिक और मानव संसाधन आवश्यकताओं की निगरानी।
- मुफ्त मध्याह्न आहार, कार्यक्रम और मुक्त अन्न वितरण योजना की निगरानी।
- अध्यापक की उपस्थिति पर निगरानी, इसमें अनियमित अध्यापकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने की शक्ति भी प्राप्त है।
- सुनिश्चित करना है कि विद्यालय की भौतिक सुविधाएँ समुदाय कार्यक्रमों – जैसे विद्यालय के सामान्य समय के बाद प्रौढ़ साक्षरता और ग़ैर–औपचारिक शिक्षा के लिए कक्षाओं उपलब्ध हों।
- सुनिश्चित करना कि उपेक्षित सामाजिक और आर्थिक समूहों और बालिकाओं के नामांकन और बच्चों के प्रतिधारण के लिए यह कार्यक्रम उपलब्ध हैं।
- नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, माता–पिता के साथ काम करने के लिए, स्वयंसेवी अधिकारी की नियुक्ति के प्राधिकार सहित विद्यालय जाने की आयु के प्रत्येक बच्चे की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना।

(lkr: *कपूर, 2010*)

ckèk Á'u 4-4

fVIi.kh% क) अपने उत्तरों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए।
ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

7) सुविधावंचित बच्चों की विद्यालयी शिक्षा में सकारात्मक कार्रवाई किस प्रकार सहायक हो सकती है? अपने विद्यालय से उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

8) 'त्रि–भाषा नीति' से आप क्या समझते हैं? इस नीति के पीछे क्या तर्काधार हैं, चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

9) विद्यालयी शिक्षा से सम्बन्धित विकेन्द्रीकरण और शक्तियों का विभाजन विद्यालयों में जवाबदेही को किस प्रकार बढ़ावा दे सकता है? एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

10) नीति–निर्माण प्रक्रिया में माता–पिता और समुदाय को शामिल करने के लिए शिक्षा को कैसे सार्थक बनाया जा सकता है?

.....

.....

.....

.....

4-12 lkjk'k

एक लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में भारत अपने सभी नागरिकों को स्वतंत्रता और समान अवसर प्रदान करता है और उनके लिए रहन–सहन की जीवन–शैली सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। अतः संविधान के सुस्पष्ट मार्गदर्शन के माध्यम से भारत में शिक्षा पद्धति की इस तरह से कल्पना की गई है, निदेशित की गई

है और विकसित की गई है, ताकि इस पद्धति के समावेशी विकास और वृद्धि को सुनिश्चित करने के सामर्थ्य का उपयोग किया जा सके, विशेष तौर पर प्रारंभिक स्तर पर।

संविधान ने हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, अर्थात् वे अधिकार जो यह निरूपित करते हैं कि व्यक्ति और मानव के रूप में हमारे क्या हक बनते हैं। आत्म–सम्मान और गरिमापूर्व जीवनयापन के लिए यह अनिवार्य हैं। हाल ही का शिक्षा का अधिकार अधिनियम में हमारी प्रतिभा और कौशलों, हमारी तर्क योग्यता को विकसित करने, जीवन में सूचित विकल्पों का योग्य बनाने में मदद के लिए शिक्षा की भूमिका का वर्णन करता है। इस अर्थ में शिक्षा को सर्वव्यापी अधिकार का नाम दिया जा सकता है। एक सकारात्मक कार्यनीति और प्रभावी भाषा नीति द्वारा संविधान में सामाजिक और भाषायी समूहों की विविधता को सुरक्षित रखा गया है। भाषा नीति किसी एक भाषा को थोपने की अनुमति नहीं देती। भारतीय संविधान में निदेशक सिद्धांतों का भी उल्लेख है, जो अप्रवर्तनीय हैं किन्तु राज्यों को सिद्धांत और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। संविधान की संघीय संरचना के फलस्वरूप ग्रामीण स्तर तक शक्ति का दस्तावेज हो पाया ताकि स्थानीय कार्य/मामलों में अधिकांशतः उन्हीं के द्वारा किए जाए जो इन कार्यों/मामलों में सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ग्रामीण स्तर पर विद्यालय स्थानीय पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और ये पंचायतें शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार मानकों की अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप कर सकती हैं।

यह बात सही है कि, हमने संवैधानिक मूल्यों को शिक्षा में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रूपों में उल्लेखनीय प्रगति है, लेकिन राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए समावेशी वृद्धि के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अब बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

4-13 lanHkZ xzaFk ,oa mi;ksxh iBu lkexzh

अग्रवाल, वाई. (2000). *हाउ मैनी पुपिल्स कम्पलीट प्राइमरी एजुकेशन इन फाइव इयर्स,* नई दिल्ली : एनयूईपीए।

बैंक्स, जे. ए. (1991). *ए कैरिकुलम फॉर इम्पावरमेंट, एक्शन एंड चेंज,* इन सी. ई. स्लीटर (संपा.), इम्पारवमेंट थ्रू मल्टीकल्चरल एजुकेशन, पश. 125–142, एल्बनी, न्यूयार्कः स्टेट यूनिवर्सिटी प्रेस ऑफ न्यू यार्क।

बैंक्स, जे. (1993). दी केनन डिबेट, नॉलेज कंस्ट्रशन एंड मल्टीकल्चरल एजुकेशन, *एजुकेशनल रिसर्चर,* 22 (5), 4–14।

चण्डोक, एन. (1999). *बिआण्ड सिक्यूलरिज्मः दी राइट्स ऑफ रीलिजन माइनोरिटीज,* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

चटर्जी, पी. (1998). *वेजस ऑफ फ्रीडमः फिफ्टी इयर्स ऑफ दी इंडियन नेशन–स्टेट,* (संपा.), दिल्ली : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

कपूर, आर. (2010). *पीपुल एज चेंज मेकर्स,* ऑक्सफेम इंडिया (वर्किंग पेपर्स सीरज)।

खालिनी, एस. (1999). दी आइडिया ऑफ इंडिया, न्यूयॉर्क, फरर, स्ट्रेक्स एवं गिरोक्स।

खोसला, एम. (2012). *दी इंडियन कंस्टीट्यूशन,* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

मोहन्ती, एम. (2006). *सोशल इनक्यूलिटी, लेबर मार्केट डायनामिक्स एंड रिर्जेवेशन,* खंड XLI सं. 35, ई. पी. डब्ल्यू, सितम्बर 2।

नाइक, जे.पी. (1975). *इक्वलिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटीः दी इलसिव ट्राइएंगल इन इंडिया,* नई दिल्ली : एलाइड पब्लिशर्स।

नाइक, जे.पी. (1997). *दि एजुकेशन कमीशन एंड ऑफ्टर,* नई दिल्ली : ए पी एच पब्लिकेशन।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, (2011). *डाइनामेक्सि एंड रिर्जेवेशन,* कक्षा X, नई दिल्लीः राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, (2011). *पालिटिक्ल थ्योरी,* कक्षा XI, नई दिल्लीः राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, (2011). *सोशल एंड पॉलिटिक्ल लाइफ,* कक्षा VIII, नई दिल्लीः राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद।

निरन्जनराधाजा वी.पी. एवं के, अरुणा. (2006). *दी फंडामेंट्लस ऑफ दी फंडामेंटल राइट्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया,* बंगलौरः बुक्स फॉर चेंज।

ओमवेडट, जी. (1993). *दलितस एंड दी डेमोक्रेटिक रिवोलूशनः डॉ. अम्बेडकर एंड दी दलित मूवमेंट इन कालोनियल इंडिया.* नई दिल्लीः सेज पब्लिकेशन्स।

प्रोब रिपोर्ट (1999). *पब्लिक रिपोर्ट ऑन बेसिक एजुकेशन इन इंडिया.* नई दिल्लीः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

रामचन्द्रन, वीः (2004), *जेंडर एंड सोशल इक्वटी इन प्राइमरी एजुकेशन, हिरार्कीज ऑफ एक्सेस,* नई दिल्लीः सेज पब्लिकेशन्स।

शर्मा, जी. एस. (1967). *एजुकेशनल प्लानिंगः इट्स लीगल एंड कंस्टीट्यूशनल इम्पलीकेशन्स इन इंडिया.* (संपा.) बाम्बेः दी इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट।

वाल्मिकी, ओ. पी. (2003). *जूनथनः एन अनटचेबल लाइफ.* कोलम्बियाः कोलम्बिया यूनिवर्सिटी प्रेस।

4-14 ckèk Á'uksa dk mÙkj

1) आज भी बच्चों को विद्यालयों में बहुत सारे कारणों से भेदभाव किया जाता है। यह भेदभाव जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा एवं आर्थिक स्थिति में होता है। अध्यापक का मनोभाव एवं विश्वास, विद्यार्थियों का मनोभाव एवं विश्वास उनके प्रकृति एवं दूसरों के प्रति विद्यालयों के वातावरण को प्रभावित करता है।

2) अनुच्छेद 15 और 21ए

3) अनुच्छेद 21ए, 24

   अनुच्छेद 15

   अनुच्छेद 14

4) उदाहरण : लड़कों को विद्यालय भेजा जाता है, लड़कियाँ घर में काम करती हैं, लड़कियों को प्रवेश के बाद भी पढ़ने में समय नहीं मिलता।

   (प्रश्न 5 से 10 तक स्वयं अभ्यास पर आधारित हैं।)